

FROM No. III

फॉर्म अहकाम

(नियम 26)

जिलत सहाय्य डलर एंव S.D.O. मुकाम बामर

रकराकाम बनाम पोडराराम कर

किस्म मुकदमा रा० वर 88,188,209 R/KA नं. 32/2022 सन् 2022

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
15/02/2022	<p>प्रार्थी/वादी/अपीलांट के वकील श्री <u>गोपाल कुमार गोडर</u></p> <p>ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा <u>88,188,209 R/KA</u></p> <p>राजस्थान कायदाकारी/भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है।</p> <p>जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिषेदी/रिस्पोंडेंट जरिये नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक <u>21/02/2022</u> को पेश हो।</p>	
21/02/2022	<p><u>वकील उपलब्ध। प्रतिषेदी</u></p> <p><u>संख्या - 1 व 2 स्वयं उपलब्ध डोडर</u></p> <p><u>ईडकाली जबाब डारा पैरा विभा जाडर</u></p> <p><u>वकील द्वारा उपलब्ध कर डो स्वयं विभा</u></p> <p><u>गमा, व वकील द्वारा वकील साक्ष्य</u></p> <p><u>के रूप में वकील स्वयं pw-1-वराराम</u></p> <p><u>पुत्र पोडराराम जाति-जाट निवासी-</u></p> <p><u>धुतराबिमा की ठानी, माडपुरा बरवाला</u></p> <p><u>तहसील-बामर व pw-2-वराराम पुत्र</u></p> <p><u>डानाराम जाति-जाट निवासी-धुतराबिमा</u></p> <p><u>की ठानी, माडपुरा बरवाला तहसील-बामर</u></p> <p><u>मय दस्तावेजों की दृष्टि-उभय पालेनी</u></p> <p><u>सन्-2012-2031 मर्ज-माडपुरा बरवाला</u></p>	<p><u>पोडराराम</u></p> <p><u>संगीता</u></p> <p><u>(अजयराव)</u></p>

सहायक जज/मजिस्ट्रेट

तारीख हुक्म

हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

हायक क  
(पीठासीन अधिकारी)

आदीगण

स्थायी पुर पोकरास

जाति-जाट

निवासी-डुलराणियों की डांगी

माडपुरा बरवाला

तहसील-बायतु जिला-बाडमेर

खसरा नम्बर- 115, 116 व प्रमाणित प्रतिलिपि  
 नामालाइट व संख्या- 282 दिनांक- 02/09/1982  
 मोजा- माडपुरा बरवाला पैदा हीमे गम्भीर वंश  
 परिवारी साक्ष्य इत्यादि के प्रतिवादी संख्या-  
 1 स्वयं DW-1- पोट्टाराम पुत्र डानाराम  
 जाति- जाट निवासी- डुलराणियों की  
 डांगी, माडपुरा बरवाला तहसील- बाडमेर  
 डांगी शायद- पञ्च पैदा विद्या गण्डा जिसे  
 शामिल पञ्चावली विद्या गण्डा/ वारी परील  
 की वदम बुनी गई पञ्चावली व पञ्चावली  
 के संलग्न राजस्व रैड डांगी फिकलेडन  
 विद्या गण्डा, बाड फिकलेडन वारी डांगी  
 वाड स्वीडार विद्या जाडर मिर्गमिलन  
 से लिखा जाडर शामिल पञ्चावली विद्या  
 गण्डा, डिग्री वर्क जारी डांगी पञ्चावली  
 फिलाल बुमार ही, दर्ज नम्बर के डम ही,  
 दाखिल दफ्तर ही/म

सहायक कलेक्टर  
 (SDO) बायतु

# सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बायतु

(पीठासीन अधिकारी श्री जगदीश सिंह आशिया R.A.S.)

राजस्व वाद संख्या-32/2022

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
खरथाराम पुत्र पोकराराम जाति-जाट, निवासी-चुतराणियों की ढाणी, माडपुरा बरवाला, तहसील-बायतु, जिला-बाडमेर		1. पोकराराम पुत्र कानाराम 2. संगीता पुत्री पोकराराम जाति-जाट, निवासी-चुतराणियों की ढाणी, माडपुरा बरवाला, तहसील-बायतु, जिला-बाडमेर 3. तहसीलदार, बायतु

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 188, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955.

उपस्थित :-

1. वादीगण
2. प्रतिवादी संख्या 1 व 2

:- निर्णय :-

दिनांक : 21/02/2022

संक्षेप में वाद कथन इस प्रकार हैं कि वादीगण ने यह राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 188, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के विरुद्ध प्रतिवादी प्रस्तुत कर यह निवेदन किया कि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 2 की पैतृक व संयुक्त कब्जाशुदा खातेदारी की भूमि मौजा चुतराणियों की ढाणी पटवार मण्डल माडपुरा बरवाला तहसील बायतु के खेत खसरा नम्बर 577/491 रकबा क्रमशः 3.3735 हैक्टेयर में आई हुई है। वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 से 2 एक ही पूर्वज के वंशज हैं। वादग्रस्त भूमि वक्त सेटलमेंट से वादीगण के दादा व प्रतिवादी संख्या 1 के पिता के कब्जे काश्त की थी तथा सेटलमेंट के समय वादीगण के दादा के नाम से पर्चा लगान जारी हुआ व सेटलमेंट से लेकर आज दिन तक वादग्रस्त भूमि पर वादीगण के दादा व प्रतिवादी संख्या 1 के पिता तथा बाद में वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 का संयुक्त रूप से कब्जा काश्त रहा है। इस प्रकार वादग्रस्त भूमि वादीगण की पैतृक भूमि है और वादीगण अपने पैतृक भूमि में हिन्दू उत्तराधिकारी है और हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत वादीगण का वादग्रस्त भूमि में पैतृक हिस्सा है तथा वादीगण अपने हिस्से अनुसार भूमि का बाहामी बंटवाड़ा कर काबिज है। क्योंकि हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 6 के अनुसार हिन्दू पुरुष के पुत्र, पौत्र एवं प्रपौत्र का विधि अनुसार जन्म से ही सहदायिकी अर्थात् पैतृक सम्पत्ति में अधिकार प्राप्त हो जाता है। अतः वादग्रस्त भूमि में वादीगण प्रतिवादी संख्या 1 के हिस्से के साथ सहखातेदार घोषित करवाने के अधिकारी है एवं जिस हेतु घोषणा का वाद इस न्यायालय में पेश किया गया है।

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगणों को सम्मन जारी किये गये। प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा उपस्थित होकर, इकबाली जवाब लिखित में पेश कर, वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र के समस्त पदों को स्वीकार करते हुए वादग्रस्त भूमि में वादीगण को सहखातेदार घोषित करने की पूर्ण सहमति प्रदान की है। वादीगण द्वारा साक्ष्य के रूप में स्वयं खरथाराम का शपथ पत्र



सहायक कलक्टर  
(S.D.O.) बायतु

गवाह के रूप में PW 2 अणदाराम पुत्र कानाराम जाति जाट निवासी चुतराणियों की द्वारा बरवाला तहसील बायतु के शपथ पत्र पेश किये गये। प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा साक्ष्य स्वयं का शपथ पत्र DW 1 पेश किये गये। प्रतिवादी संख्या 2 की ओर से इकबाली जवाबदावा पेश कर अपने हिस्से की भूमि को वादीगण के पक्ष में घोषित करने की सहमति प्रदान की गई।

न्यायालय द्वारा पत्रावली के संलग्न दस्तावेजों का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया तथा वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 2 को सुना गया। चूंकि वादग्रस्त भूमि वक्त सेटलमेंट से वादीगण के दादा व प्रतिवादी संख्या 1 के पिता के कब्जे काश्त की थी एवं सेटलमेंट के समय वादीगण के दादा व प्रतिवादी संख्या 1 के पिता के नाम से पर्चा लगान जारी हुआ था तथा वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 से 2 कानाराम के विधिक वारिसान् है तथा हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 से 2 का वादग्रस्त भूमि में पैतृक हिस्सा बनता है व वादग्रस्त समस्त भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 के हिस्से के साथ वादीगण सहखातेदार घोषित करवाने के अधिकारी है।

अतः वादीगण द्वारा प्रस्तुत किया गया वाद-पत्र व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का इकबाली जवाबदावा स्वीकार कर, अन्तिम डिक्री इस आशय की जारी की जाती है कि मौजा चुतराणियों की ढाणी पटवार मण्डल माडपुरा बरवाला तहसील बायतु के खेत खसरा नम्बर 577/491 रकबा क्रमशः 3.3735 हैक्टेयर में प्रतिवादी संख्या 1 के हिस्से के साथ, वादी को सहखातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। प्रतिवादी संख्या 2 की ओर से अपना हक हिस्सा त्याग करने से उनका हिस्सा शेष नहीं है। वादग्रस्त भूमि यदि बैंक में रहन है तो पूर्व की भांति संबंधित बैंक में रहन रहेगी। निर्णय अनुसार डिक्री पर्चा जारी हो। खर्चा पक्षकारान् अपना-अपना वहन करें।



निर्णय आज दिनांक 21/02/2022 को न्यायालय में सुनाया गया।

(जगदीश सिंह आशिया)  
सहायक कलक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी, बायतु

सहायक कलक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी, बायतु

# अन्तिम डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

## न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बायतु

पीठासीन अधिकारी श्री जगदीश सिंह आशिया R.A.S.

### वादीगण

### बनाम

### प्रतिवादीगण

1. खरथाराम पुत्र पोकराराम  
जाति-जाट,  
निवासी-चुतराणियों की ढाणी,  
माडपुरा बरवाला,  
तहसील-बायतु, जिला-बाडमेर

1. पोकराराम पुत्र कानाराम
2. संगीता पुत्री पोकराराम  
जाति-जाट,  
निवासी-चुतराणियों की ढाणी, माडपुरा  
बरवाला, तहसील-बायतु, जिला-बाडमेर
3. तहसीलदार, बायतु

दावा बाबत 88, 188, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

राजस्व वाद संख्या-32/2022.

निर्णय दिनांक :- 21/02/2022

वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 से 2 की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 21/02/2022 को न्यायालय में (नाम पीठासीन अधिकारी) जगदीश सिंह आशिया, सहायक कलक्टर व उपखण्ड अधिकारी बायतु के समक्ष अन्तिम निर्णय किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि :-

वादीगण का वाद पत्र व प्रतिवादी संख्या 1 से 2 का इकबाली जवाबदावा स्वीकार किया जाकर मौजा चुतराणियों की ढाणी पटवार मण्डल माडपुरा बरवाला तहसील बायतु के खेत खसरा नम्बर 577/491 रकबा 3.3735 हैक्टेयर में प्रतिवादी संख्या 1 के हिस्से के साथ, वादी को सहखातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। वादग्रस्त भूमि यदि बैंक में रहन है तो पूर्व की भांति संबंधित बैंक में रहन रहेगी।

खर्चा वाद पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 21/02/2022 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा लगाकर जारी की गई।



(जगदीश सिंह आशिया)  
सहायक कलक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी, बायतु  
(SDO) बायतु

### वाद के खर्चे

वादी	प्रतिवादी	
	रुपया	रुपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प
2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		अर्जी के लिए स्टाम्प
3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प		प्लीडर की फीस
4. .... रुपये पर प्लीडर की फीस		साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय
5. साक्षियों के लिए निर्वाह-व्यय		आदेशिका की तामील
6. कमिश्नर की फीस		कमिश्नर की फीस
7. आदेशिका की तामील		
जोड़		जोड़